महत्वपूर्ण एवं खास

9500 रूपये की चोरी के 6 आरोपी गिरफ्तार

कोण्डागांव (आरएनएस)। जिले के थाना कोतवाली में प्रार्थी प्रेमदास मानिकपुरी पिता स्वं. रामचंद मानिकपुरी अज्ञात चोरो के द्वारा घर मे रखे नगद रकम 9500 रूपये को चोरी कर लिया गया है कि, प्रार्थी के रिपोर्ट पर थाना कोंडागांव में अपराध क्रमांक 415/2022 धारा 457, 380, 147 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। चोरी को घटना को देखते हुए कोण्डागांव पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल द्वारा अज्ञात आरोपी को तत्काल पतासाजी कर गिरफ्तार करने के आदेश से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शोभराज अग्रवाल के मागर्दशर्न एवं कोण्डागांव एसडीओपी निमितेश सिंह परिहार के पयेर्वेक्षण में आरोपियों के खिलाफ घटना कारित करने का अपराध सबूत पाये जाने से 06 आरोपियों हरिलाल सूयर्वंशी पिता लेखन सूयर्वंशी उम्र 35 वर्ष निवासी राजागांव स्कूलपारा, चूमन पटेल पिता बन्नूराम पटेल उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम बम्हनी नयापारा, धनेश्वर सूयर्वंशी पिता चैनदास सूयर्वंशी उम्र 27 वर्ष निवासी राजागांव टेमरूपदरपारा, येशोक नेताम पिता धरमूराम नेताम उम्र 26 वर्ष निवासी संबलपुर बड़ेपारा, तीजेन ध्रुव पिता संजय ध्रुव उम्र 22 वर्ष निवासी संबलपुर, दैमन मंडावी पिता रामेश्वर मंडावी उम्र 19 वर्ष निवासी ग्राम बड़े बेंदरी मुरारीपारा के कब्जे से चोरी हुए रकम 9500 बरामद कर आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के आदेश से जेल दाखिल गया।

मिर्गी का दौरा पड़ने से ग्रामीण की मौत

कोरबा (आरएनएस)। बाल्को थाना अंतर्गत ग्राम बेला में रहने वाला नेतलाल पंडा 45 वर्ष घर पर अकेले रहा करता था। शनिवार सुबह करीब 9 बजे उसे घर पर रिश्तेदार ने मृत हालत में देखा जब वह मिलने गया था। सूचना पर घटनास्थल पहुंचे एएसआई अजय सोनवानी ने बताया कि नेतलाल अकेले रहा करता था। कल तडक़े 5 चाय बनाने के लिए चूल्हा जलाया था जिसके बाद वह नजर नहीं आया। उसे मिर्गी का दौरा पड़ता था और जिस तरह से चूल्हे पर औंधे मुंह गिरा पड़ा मिला उससे माना जा रहा है कि चूल्हे पर चाय बनाते वक्त दौरा पड़ा और चूल्हे पर गिर पड़ा। अकेले रहने के कारण किसी को पता नहीं चल सका। सुबह 9 बजे जब रिश्तेदार नेतलाल के घर पहुंचा तो उसे चूल्हे पर औंधे मुंह गिरे हुए मृत हालत में पाया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और वैधानिक कार्रवाई पश्चात अंतिम संस्कार हेतु सुपुर्द किया।

भिलाई स्टील प्लांट का अधिकारी बनने के लिए ढाई हजार से अधिक परीक्षार्थी हुए शामिल

भिलाई (आरएनएस)। बीएसपी अफसर बनने के लिए रविवार को 2787 परीक्षार्थियों ने आयोजित परीक्षा में भाग लिया। मिली जानकारी के अनुसार भारतीय विश्वविद्यालय पुलगांव दुर्ग केपीएस नेहरू नगर से 912 कर्मी परीक्षा में शामिल हुए। 1875 कर्मी भारतीय विश्वविद्यालय परीक्षा में शामिल हुए। आयोजित परीक्षा में 170 वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्रश्न पूछे गए थे। जिसके लिए 2 घंटे का समय परीक्षार्थियों के लिए निर्धारित किया गया था। सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच आयोजित परीक्षा में प्रश्नपत्र में भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना किसके सहयोग से की गई थी संबंधित प्रश्न भी शामिल किया गया। अन्य प्रश्नों के रूस में तालाबंदी हड़ताल के संबंध में प्रश्नपत्र शामिल किया गया। स्वदेशी स्टील प्लांट का नाम भी प्रश्नपत्र में शामिल था। उक्त परीक्षा में भारतीय मजदूर संघ के नेता संतोष कुमार पाराशर एवं प्रशांत क्षीरसागर भी शामिल हुए।

विधिक जागरूकता के लिए आयोजित हुआ ई-मेगा लीगल सर्विस कैंप... विधिक अधिकारों और मिलने वाली विधिक सहायता की दी गई जानकारी

❑ हितग्राहियों को राशि और अनुदान सामग्री का हुआ वितरण

रायगढ़। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला प्रशासन रायगढ़ के संयुक्त तत्वाधान में ई-मेगा लीगल सर्विस कैंप का आयोजन रायगढ़ जिले में किया गया। कैंप के माध्यम से लोगों को उनके विधिक अधिकारों और प्रावधानों की जानकारी प्रदान की गई। साथ ही उन्हें नि:शुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने की विधियों के बारे में भी बताया गया। इस दौरान विभिन्न योजना के हितग्राहियों को सहायक उपकरण और अनुदान राशि प्रदान किया गया। ई मेगा कैंप के मुख्य कार्यक्रम का आयोजन कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में किया गया। जिसमें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कमलेश जगदल्ले, सीईओ जिला पंचायत अबिनाश मिश्रा, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश भास्कर मिश्रा, अपर कलेक्टर राजीव पांडे, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण स्मिता श्रीवास्तव सिन्हा उपस्थित रहे।

ई-मेगा कैंप में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कमलेश जगदल्ला ने कैंप के आयोजन के उद्देश्य और महत्व के बारे में बताया। उन्होंने नागरिकों तक विधिक सहायता की सुलभ पहुंच सुनिश्चित करने राष्ट्रीय विधिक सहायता प्राधिकरण और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बारे में बताया। सीईओ जिला पंचायत अबिनाश मिश्रा ने इस अवसर पर कहा कि आमतौर पर विधायिका और कार्यपालिका के बारे में लोगों को जानकारी होती है। लेकिन न्यायपालिका के कार्यप्रणाली और विधिक प्रक्रियाओं और अधिकारों के बारे में जागरूकता की कमी के चलते लोगों को अपनी समस्याओं को लेकर जरूरी राहत प्राप्त करने में दिक्कत होती है। उन्होंने कहा कि लोगों को उनके बेसिक विधिक अधिकारों के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से यह मेगा कैंप आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने उदाहरण स्वरूप वृद्ध माता-पिता के भरण पोषण के बारे में सीआरपीसी के प्रावधानों के साथ माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि लोगों को इनकी जानकारी नहीं होने के चलते वे परेशान होते हैं। उन्होंने सभी अधिकारियों को उनके विभाग से जुड़ी योजनाओं के साथ उसकी प्रक्रियाओं और नियम कानून की जानकारी हितग्राहियों को देने की बात कही।

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश भास्कर मिश्रा ने कैंप के बारे में कहा कि यह एक ऐसा मंच है जहां न्यायाधीश सीधे लोगों से जुड़कर उन्हें विधिक अधिकारों के बारे में जागरूक कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आज विधिक साक्षरता बेहद जरूरी है। जिससे लोग कानूनी प्रक्रियाओं के बारे में न केवल समझ विकसित करें बल्कि अपने अधिकारों और विधिक सेवाओं का उपयोग भी कर सकें। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण स्मिता श्रीवास्तव सिन्हा ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आउटरीच प्रोग्राम के जरिए विधिक जागरूकता के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों के बारे में बताया। उन्होंने जानकारी दी कि प्राधिकरण के द्वारा प्रत्येक पंचायत में जागरूकता कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। जिसमें राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में बताया। जिसमें महिला एवं बाल अपराधों से पीड़ित, एसिड अटैक पीड़ित, मानसिक रूप से पीड़ित लोगों के सहायतार्थ चलाए जा रहे कार्यक्रमों के बारे में बताया।

इसके पूर्व कार्यक्रम में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित जन हितैषी योजनाओं की जानकारी अधिकारियों द्वारा दी गई। रायगढ़ जिला मुख्यालय के साथ ही विकासखंड मुख्यालयों में भी कार्यक्रम आयोजित किए गए। पुसौर, खरसिया, लैलूंगा, तमनार, घरघोड़ा एवं धर्मजयगढ़ में ई-मेगा लीगल सर्विस कैंप का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस अवसर पर न्यायाधीश गण सुश्री प्रांजलि नेताम, सुश्री श्वेता ठाकुर व सौरभ बारा, ज्वाइंट कलेक्टर रात्रे, डिप्टी कलेक्टर रमेश मोर, उप संचालक कृषि हरीश राठौर, डीईओ बाखला, रोजगार अधिकारी रामजीत राम, समाज कल्याण से विनय तिवारी सहित अन्य विभागों के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।

हितग्राहियों को अनुदान राशि और सामग्रियों का हुआ वितरण

रायगढ़। ई-मेगा लीगल सर्विस कैंप में हितग्राहियों को विभिन्न शासकीय योजनाओं के अंतर्गत अनुदान राशि और सामग्रियों का वितरण किया गया। दिव्यांग बच्चों को सहायक उपकरण दिए गए जिसमें रूपेंद्र रात्रे को थेरेपी किट, सिया पंडा को वॉकर और अनुष्का यादव को हियरिंग एड दिया गया। मछली पालन विभाग की ओर से कचरा बाई, गौरी देवांगन और बंटी सतनामी को मछली पालन के लिए आइस बॉक्स और अन्य सामग्री दी गई। भावेश यादव और पिंटू गिरी को मुख्यमंत्री कौशल विकास के अंतर्गत कौशल प्रमाण पत्र वितरित किया गया। स्वास्थ्य विभाग की ओर से भानूप्रताप सिंह, नवरतन धीवर, देवेश श्रीवास और योगेश भारद्वाज को आयुष्मान कार्ड प्रदान किया गया। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत संतराम सिदार और बोधराम सिदार को 1-1 हजार गेंदे के पौधे का वितरण किया गया। मिनीमाता महतारी जतन योजना के अंतर्गत ममता सिदार और मंजुलता साव को 20-20 हजार रुपए की राशि का चेक सौंपा गया। मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना के तहत शशिभूषण यादव को 2 हजार रुपए की राशि प्रदान की गई। अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत करन कठौतिया को 2.5 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई। इसके साथ छात्रों को जाति प्रमाण पत्र, हितग्राहियों को राशन कार्ड और किसानों को फसलों के बीज का वितरण किया गया।

मारपीट मामले के फरार आरोपी भीमसेन बसंत को चक्रधरनगर पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा रिमांड पर

❑ आदतन बदमाश है आरोपी, पहले भी मारपीट व छेड़खानी के मामले में हो चुका है चालान

रायगढ़। चक्रधरनगर पुलिस द्वारा मारपीट मामले के फरार आरोपी कयाघाट मुक्तिधाम के पास रहने वाले भीमसेन बसंत को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है। आरोपी भीमसेन बसंत बदमाश प्रवृत्ति का युवक है जिसे पूर्व में चक्रधरनगर और चौकी जूटमिल की पुलिस मारपीट तथा छेड़खानी के अपराध में चालान की है। करीब 3 माह पहले आरोपी भीमसेन बसंत अपने साथी अब्दूल अकरम उर्फ करिया, गोलू महंत के साथ चक्रधरनगर भैंसाकोठा में रहने वाले आफिज अहमद (उम्र 40 वर्ष) से शराब पीने के लिये रूपये मांगकर उसके साथ मारपीट कर उसके दुकान/आफिस में तोड़फोड किये थे। इस संबंध में आफिज अहमद द्वारा दिनांक 07.08.2022 को थाना चक्रधरनगर में आवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया था जिस पर आरोपियों के विरूद्ध धारा 294, 506, 323, 327, 427, 34 IPC का अपराध कायम कर फरार आरोपियों की पतासाजी कर दिनांक 25.08.2022 को आरोपी अब्दूल अकरम उर्फ करिया कबाड़ी पिता अब्दुल उम्र 45 साल निवासी त्रिमुर्ति मंदिर के पास पंजरीप्लांट थाना चक्रधरनगर को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया था। आरोपी भीमसेन बसंत और गोलू महंत फरार थे।

दोनों फरार आरोपियों की चक्रधरनगर पुलिस लगातार पतासाजी कर रही थी जिस पर कल दोपहर आरोपी भीमसेन बसंत को जूटमिल क्षेत्र में दबिश देकर चक्रधरनगर पुलिस ने पकड़ा, जिसके मेमोरेंडम पर मारपीट में प्रयुक्त एक बांस का डंडा जप्त किया गया। आरोपी भीमसेन बसंत पिता प्यारेलाल बसंत उम्र 23 साल निवासी कयाघाट मुक्तिधाम चौकी जूटमिल थाना कोतवाली को चक्रधरनगर पुलिस द्वारा आफिज अहमद से मारपीट और दुकान में तोड़फोड़ के मामले में गिरफ्तार कर ज्युडिसियल रिमांड पर भेजा गया, जहां से उसे जेल वारंट पर जेल दाखिल किया गया है। आरोपी गोलू महंत फरार है, जिसके गिरफ्तारी के लिये दबिश दिया जा रहा है।

पीडब्ल्यूडी ने शुरू किया सड़कों के निर्माण और मरम्मत का कार्य

❑ रायगढ़ से घरघोड़ा और खरसिया से धरमजयगढ़ के बीच विभिन्न हिस्सों में प्रारंभ हुआ कार्य

रायगढ़। जिले की प्रमुख सड़कों के निर्माण और मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया गया है। इनमें खरसिया से छाल और हाटी होते हुए धरमजयगढ़ तथा रायगढ़ से घरघोड़ा होते हुए धरमजयगढ़ तक सड़क के विभिन्न हिस्सों में लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्य शुरू कराया गया है। कलेक्टर रानू साहू ने निर्देश पर निर्माण कार्य की नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है। इसी क्रम में आज सीईओ जिला पंचायत अबिनाश मिश्रा सड़कों पर चल रहे कार्य का जायजा लेने पहुंचे। अपर कलेक्टर राजीव पांडे, एसडीएम घरघोड़ा रोहित सिंह, एसडीओपी धरमजयगढ़ दीपक मिश्रा, ईई पीडब्ल्यूडी आर. के.खांबरा भी इस दौरान साथ रहे। सीईओ मिश्रा ने सड़कों के निर्माण की स्टेटस रिपोर्ट की जानकारी पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से ली। उन्होंने कार्य में गुणवत्ता के कार्य की गति पर विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए।

ईई पीडब्ल्यूडी आर.के.खांबरा ने सड़कों के अलग-अलग हिस्सों में चल रहे कार्य के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि डभरा-खरसिया-छाल-हाटी-धरमजयगढ़ पत्थलगांव मार्ग अंतर्गत खरसिया से छाल मार्ग तथा छाल से हाटी मार्ग में सड़क निर्माण कार्य चल रहा है। इसी तरह हाटी से धरमजयगढ़ मार्ग के बायसी में मिट्टी कार्य एवं पत्थलगांव से धरमजयगढ़ मार्ग में स्क्रेपिंग एवं बेड रोलिंग कार्य चल रहा है। इसी प्रकार रायगढ़ से धरमजयगढ़ सड़क मार्ग में जामपाली मार्ग में सरिया नाला के पास पेच एवं डीबीएम, जामपाली से घरघोड़ा मार्ग में कंचनपुर के पास तथा घरघोड़ा से पूंजीपथरा मार्ग में डब्ल्यूएमएम कार्य, पूंजीपथरा से रायगढ़ मार्ग में स्टार ढाबा गेरवानी से गेरवानी बस्ती तथा छाल से घरघोड़ा मार्ग में जीएसबी कार्य गेरवानी बस्ती में प्रगति पर है एवं बीटी स्केरीफाइंग का कार्य तराईमाल एवं बंजारी के मध्य तथा छाल से घरघोड़ा मार्ग में देवारमार के पास तथा घरघोड़ा से लैलूंगा मार्ग में रिटेनिंग वाल का कार्य, शोल्डर में मिट्टी का कार्य, डामर स्केरीफाइंग, डब्लयूएमएम एवं नाली कार्य कराया जा रहा है। सभी पैचेज के निर्माण और मरम्मत कार्यों की मॉनिटरिंग के लिए अलग-अलग अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है।

वृद्ध महिला के सूने मकान में चोरी, रिपोर्ट के चंद घंटों के भीतर आरोपी गिरफ्तार

❑ आरोपी के घर से चोरी का सामान बरामद, चक्रधरनगर पुलिस की कार्रवाई

रायगढ़। थाना चक्रधरनगर में ग्राम कारीछापर में रहने वाली 70 वर्षीय बुधनी बाई पति हरि चौहान उसके सुने मकान का ताला तोड़कर घर से 10 हजार रूपये , एक नग गैस सलेंडर, 50 किलो चावल , लोहे का 4 सब्बल, रापा, गैती, सायकल बनाने का सामान अज्ञात चोर चोरी कर ले जाना बताई। रिपोर्टकर्ता बुधनी बाई बताई कि वह एक माह पहले वह अपने बेटी के घर बडमाल कनकतुरा गई थी, दिनांक 04.11.2022 को घर वापस आयी तो देखी घर का ताला टूटा हुआ था, सामान चोरी हो गये थे। चक्रधरनगर पुलिस अज्ञात आरोपी के विरूद्ध नकबजनी का अपराध दर्ज कर माल मुल्जिम पतासाजी में लिया गया। माल मुल्जिम पतासाजी में बुधनी बाई और गांव के लोग मोहन लाल चौहान पर चोरी की शंका किये। पुलिस तत्काल संदेही मोहन लाल चौहान को हिरासत में लेकर पूछताछ की जो बुधनी बाई के घर पर चोरी करना कबूल किया। आरोपी के मेमोरेंडम पर उसके घर से चोरी किया हुआ 2 लोहे का सब्बल, 1 गैंती, 1 रापा और साइकिल बनाने का सामान बरामद किया गया है। आरोपी मोहन लाल चौहान पिता नेहरू लाल चौहान उम्र 25 साल निवासी कारीछापर थाना चक्रधरनगर को नकबजनी के दर्ज अपराध में गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। थाना प्रभारी चक्रधरनगर निरीक्षक प्रवीण कुमार मिंज के नेतृत्व में माल मुल्जिम पतासाजी में प्रधान आरक्षक हेम प्रकाश सोन और हमराह स्टाफ की प्रमुख भूमिका रही है।

एसईसीएल के लात खदान अंदर से लोहे की पाईप चोरी करने वाला चोर गिरफ्तार, दो क्विंटल वजनी पाईप बरामद

रायगढ़। छाल पुलिस द्वारा एसईसीएल लात खदान अंदर से पानी निकासी के लिये लगाये गये लोहे का पाईप चोरी करने वाले आरोपी को पकड़ा गया है जिससे चोरी किया हुआ 2 क्विंटल वजनी पाईप बरामद कर आरोपी को चोरी के अपराध में ज्युडिसियल रिमांड पर भेजा गया है।

जानकारी के मुताबिक कल थाना छाल में एसईसीएल छाल में सहायक सुरक्षा उप निरीक्षक के पद पर कार्यरत रामनिवास भारद्वाज (उम्र 60 वर्ष) निवासी ग्राम नवापारा छाल एक लिखित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें दिनांक 03.11.22 के रात्रि लगभग 11.00 बजे SECL लात खदान के अंदर से कोई अज्ञात व्यक्ति खदान में लगे लोहे का पानी निकासी पाईप लगभग 02 क्विंटल को चोरी कर लिये जाने उल्लेख है। आवेदन पत्र पर थाना छाल में अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अप.क्र. 216/2022 धारा 379 भादवि का अपराध पंजीबद्ध किया गया।

थाना प्रभारी छाल निरीक्षक जितेन्द्र एसैया के नेतृत्व में माल मुल्जिम पतासाजी दौरान संदेही उमेश अगरिया निवासी ग्राम कोटमेर थाना करतला को हिरासत में लिया गया जिसे घटना दिनांक को संदिग्ध अवस्था में घूमते देखा गया था। छाल पुलिस की पूछताछ में संदेही उमेश अगरिया खदान अंदर से लोहे का पाईप चोरी कर खदान के पीछे जंगल झाड़ी में छिपा कर रखना बताया जिसे बरामद किया गया। आरोपी उमेश अगरिया पिता स्व. सुखसाय अगरिया उम्र 23 वर्ष निवासी ग्राम कोटमेर थाना करतला जिला कोरबा से चोरी का 02 क्विंटल लोहे का पाईप कीमती 6,000 रूपये का जप्त कर आरोपी को चोरी के अपराध में गिरफ्तार कर आज जेएमएफसी धरमजयगढ़ के न्यायालय रिमांड पर भेजा गया है।

बाढ़ आपदा से निपटने के लिए किया गया मॉकड्रिल का आयोजन

रायगढ़। राज्य एवं जिला स्तर पर बाढ़ बचाव प्रशिक्षण के लिए गत दिवस जिला प्रशासन के सहयोग से तहसील पुसौर में बाढ़ आपदा प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इसके तहत बाढ़ आपदा प्रबंधन के लिए किये जाने वाले राहत बचाव की प्रक्रिया व प्रशिक्षण आदि की मॉकड्रिल किया गया। बाढ़ आपदा से निपटने और तत्काल राहत के लिए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण रायगढ़ द्वारा पुसौर तहसील के ग्राम परसापाली, सिंगपुरी, चंघोरी, रायपाली एवं खपरापाली को इवेंट पॉइंट तय किए गए थे। जिसमें राहत व बचाव दल के अधिकारी और कर्मचारियों ने बाढ़ से प्रभावित लोगों का रेस्क्यू कर लोगों को रिलीफ कैंप तक पहुंचाने में भूमिका निभाई। इस दौरान बचाव-राहत टीम ने एक परिदृश्य तैयार किया जिसमें बाढ़ के दौरान लोगों के फंसने और नदी आदि में डूबने पर उसे खोजने का प्रदर्शन किया गया। मॉकड्रिल के दौरान आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सहित अन्य विभागों को सूचना मिलती है। भारी बारिश के कारण कुछ लोग बाढ़ में फंस गए हैं। इस पर अत्याधुनिक उपकरणों से लैस टीम घटना स्थल के लिए रवाना होती है। घटना स्थल पर पहुंच कर टीम घटना की सम्पूर्ण जानकारी लेती है और साथ ही साथ इंसिडेंट कमांड पोस्ट, हेली बेस-हेली पेड, मेडिकल ऐड पोस्ट, रिलीफ कैम्प पोस्ट तैयार गई थी। त्वरित कार्यवाही करते हुए टीम अपने मोटर बोट के माध्यम से नदियों में बचाव अभियान शुरू कर देती है। बचाव दल लाइफ बॉय, लाइफ जैकेट और डीप डाइवर्स की मदद से पीड़ितों को बचाता है और उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल ले आता है। डूबे हुए व्यक्तियों को बाहर निकाल कर बचाव टीम की ओर से प्राथमिक उपचार दिया गया और एंबुलेंस के माध्यम से अस्पताल भेजा गया।

बाढ़ आपदा प्रशिक्षण का कार्य डिप्टी कलेक्टर शिवकुमार कंवर के मार्गदर्शन में कराया गया। इस मौके पर संयुक्त कलेक्टर एवं नोडल अधिकारी डी.आर.रात्रे, डिस्टिक कमांडेंट बी.कुजूर सहित अन्य संबंधित अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-२21359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480